भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3158
दिनांक 13.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

रसायन विनिर्माण इकाइयों का संवर्धन

3158. श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिंगोली में लघु-स्तरीय रसायन विनिर्माण इकाइयों को सहायता प्रदान करने की कोई सरकारी योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहनों अथवा सहायता का ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) भारत सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के माध्यम से रसायन विनिर्माण एमएसएमई सहित एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं; (i) एमएसएमई चैंपियंस योजना; (ii) सूक्ष्म और लघु उद्यम हरित निवेश और परिवर्तन के लिए वित्तपोषण (एमएसई-जीआईएफटी) योजना; (iii) सर्कुलर अर्थव्यवस्था में संवर्धन और निवेश के लिए एमएसई योजना (एमएसई-एसपीआईसीई योजना); (iv) सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) योजना; और (v) खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) योजना।

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत एमएसएमई को प्रदान किए गए प्रोत्साहन या सहायता का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

क) एमएसएमई चैंपियन योजना के तहत एमएसएमई को वित्तीय सहायता:

एमएसएमई चैम्पियंस योजना:

एमएसएमई चैंपियंस योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरे भारत में उद्यम पंजीकृत विनिर्माण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर लागू होती है। इसका अंतिम उद्देश्य क्लस्टर और उद्यमों को चुनना और उनकी प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना, अपव्यय को कम करना, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को तेज करना और उनकी राष्ट्रीय और वैश्विक पहुंच और उत्कृष्टता को सुविधाजनक बनाना है। इसमें तीन घटक शामिल हैं, अर्थात्,

i) एमएसएमई-सस्टेनेबल (जेडईडी) प्रमाणन योजना (28.04.2022 को शुरू की गई)
ii) एमएसएमई-प्रतिस्पर्धात्मक (एलईएएन) योजना (10.03.2023 को शुरू की गई)
iii) एमएसएमई-इनोवेटिव (इन्क्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआर) योजना (10.3.2022 को शुरू की गई)।

एमएसएमई चैम्पियंस योजना के अंतर्गत योजना संघटकों का विवरण इस प्रकार है:

i) एमएसएमई-सस्टेनेबल (जेडईडी) प्रमाणन योजना

❖ **उद्देश्य:**

जेडईडी प्रमाणन का उद्देश्य एमएसएमई के बीच शून्य दोष शून्य प्रभाव वाली (जेडईडी) प्रथाओं को बढ़ावा देना है, ताकि एमएसएमई को नवीनतम प्रौद्योगिकी, उपकरणों का उपयोग करके गुणवत्ता वाले उत्पादों के विनिर्माण के लिए प्रोत्साहित और सक्षम किया जा सके और पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव के साथ उच्च गुणवत्ता और उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं को लगातार उन्नत किया जा सके और जेडईडी प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा दिया जा सके।

प्रमाणन की लागत

- प्रमाणन स्तर 1: कांस्य: रु. 8,000/-
- प्रमाणन स्तर 2: रजत: रु. 32,000/-
- प्रमाणन स्तर 3: स्वर्ण: रु. 72,000/-

सहायता की प्रकृति:

जेडईडी प्रमाणन की लागत पर सब्सिडी:

- 10,000/- रुपये का ज्वाइनिंग रिवॉर्ड (इसका लाभ उठाने पर कांस्य पदक निःशुल्क हो जाएगा)
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम एमएसएमई के लिए क्रमशः 80-60-50%
- महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई के लिए 100% सब्सिडी

अतिरिक्त सब्सिडी:

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसएमई या पूर्वोत्तर/हिमालयी/एलडब्ल्यूई/द्वीपीय क्षेत्रों/एस्पिरेशनल जिलों के एमएसएमई के लिए 10%।
- 5% उन एमएसएमई के लिए जो मंत्रालय के एसएफयूआरटीआई या सूक्ष्म एवं लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) का भी हिस्सा हैं।

जांच/गुणवत्ता/उत्पाद प्रमाणन में वित्तीय सहायता:

- बहु जांच/प्रणाली/उत्पाद प्रमाणन के लिए कुल लागत के 75% तक, सब्सिडी की अधिकतम सीमा 50,000/- रुपये है।

हैंडहोल्डिंग सहायता:

- सभी जेडईडी प्रमाणित एमएसएमई के लिए परामर्श हेतु 2 लाख रुपये तक की राशि।

शून्य प्रभाव समाधान के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन में सहायता:

- सभी जेडईडी प्रमाणित एमएसएमई के लिए 3 लाख रुपये तक

ii) एमएसएमई-प्रतिस्पर्धी (ईएएन) योजना

❖ **उद्देश्य:**

इस योजना का उद्देश्य विभिन्न लीन तकनीकों के अनुप्रयोग के माध्यम से एमएसएमई की घरेलू और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- निम्नलिखित में कमी:

- अस्वीकृति दर
- उत्पाद और कच्चे माल की आवाजाही
- उत्पाद लागत

- निम्नलिखित का इष्टतम उपयोग:

- स्थान का उपयोग
- जल, ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन आदि जैसे संसाधन।

- निम्नलिखित को बढ़ाना:

- उत्पाद और प्रक्रिया की गुणवत्ता
- उत्पादन और निर्यात क्षमताएं
- कार्यस्थल सुरक्षा
- ज्ञान और कौशल सेट
- अभिनव कार्य संस्कृति
- सामाजिक एवं पर्यावरणीय जवाबदेही
- लाभप्रदता
- उद्योग 4.0 का परिचय एवं जागरूकता
- डिजिटल सशक्तिकरण

कार्यान्वयन लागत (अधिकतम प्रति इकाई)

- **मूल स्तर:** निःशुल्क
- **मध्यवर्ती स्तर:** ₹ 1,20,000 + कर
- **अग्रवर्ती स्तर:** ₹ 2,40,000 + कर

सहायता की प्रकृति:

लाभार्थी अंशदान

- **मूल स्तर –** लागू नहीं
- **मध्यवर्ती स्तर:** कार्यान्वयन की कुल लागत का 10% अर्थात, अधिकतम ₹ 12,000 + कर प्रति इकाई (अधिकतम)
- **अग्रवर्ती स्तर:** कार्यान्वयन की कुल लागत का 10% अर्थात, अधिकतम ₹ 24,000 + कर प्रति इकाई (अधिकतम)

भारत सरकार का अंशदान:

- **मूल स्तर:** लागू नहीं

- **मध्यवर्ती स्तर:** एमएसएमई इकाई कार्यान्वयन लागत (कर अतिरिक्त) के लिए ₹ 1,08,000 (अधिकतम) की पात्र होगी।
- **अग्रवर्ती स्तर:** एमएसएमई इकाई कार्यान्वयन लागत (कर अतिरिक्त) के लिए ₹ 2,16,000 (अधिकतम) की पात्र होगी।

अतिरिक्त लाभ

- **मूल स्तर:** लागू नहीं

- **मध्यवर्ती स्तर** और **अग्रवर्ती स्तर:**

क) एस.एफ.यू.आर.टी.आई. क्लस्टरों, महिला/एस.सी./एस.टी. स्वामित्व वाले, एन.ई.आर. स्थित एम.एस.एम.ई. के भाग के रूप में कार्यरत एम.एस.एम.ई. के लिए भारत सरकार का 5% अतिरिक्त अंशदान।

ख) **ओईएम/ उद्योग संघ मार्ग**

- ✓ सभी स्तरों को पूरा करने के बाद उद्योग संघ/ओईएम के माध्यम से पंजीकरण करने वाले एमएसएमई को भारत सरकार का अतिरिक्त 5% अंशदान दिया जाएगा।
- ✓ लीन इंटरवेंशन के सभी चरणों को पूरा करने के बाद ओईएम/एसोसिएशन को प्रति एमएसएमई ₹ 5000 दिए जाएंगे।
- ✓ इस लाभ के लिए एमएसएमई इकाई को आवेदन करते समय यह उल्लेख करना होगा - मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) के तहत आवेदन किया जा रहा है या उद्योग संघ (आईए) के तहत आवेदन किया जा रहा है।

iii) एमएसएमई-इनोवेटिव (इन्क्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआर) योजना

❖ **उद्देश्य:**

एमएसएमई इनोवेटिव एमएसएमई के लिए एक नई अवधारणा है जिसमें इनक्यूबेशन में नवाचार, डिजाइन इंटरवेंशन और एकल मोड दृष्टिकोण में आईपीआर की सुरक्षा के संयोजन के साथ एमएसएमई के बीच भारत के नवाचार के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें एमएसएमई चैंपियन बनने के लिए प्रेरित करना शामिल है। यह नवाचार गतिविधियों के लिए एक हब के रूप में कार्य करेगा जो विचारों का ऐसे व्यवहार्य व्यवसाय प्रस्ताव में विकास सुगम और निर्देशित करेगा जो समाज को सीधे लाभ पहुंचा सकता है और जिसका सफलतापूर्वक विपणन किया जा सकता है।

सहायता की प्रकृति:

इन्क्यूबेशन

- एचआई को विचारों के विकास और पोषण के लिए वित्तीय सहायता - एचआई को प्रति विचार अधिकतम 15 लाख रुपये तक सहायता प्रदान की जाएगी।

- एचआई को संयंत्र और मशीनरी के लिए 1.00 करोड़ रुपये (अधिकतम) तक की वित्तीय सहायता - अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों और बीआई के इनक्यूबेटी के लिए सामान्य सुविधाओं के लिए बीआई में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आदि सहित प्रासंगिक संयंत्र और मशीनों की खरीद और स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

डिज़ाइन

- **डिज़ाइन परियोजना:** कुल परियोजना लागत का 75% अंशदान भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा, जो अधिकतम 40 लाख रुपये तक होगा।
- **छात्र परियोजना:** कुल परियोजना लागत का 75% अंशदान भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा, जो अधिकतम 2.5 लाख रुपये तक होगा।

आईपीआर जनसंपर्क

- आईपीएफसी को माइलस्टोन आधारित (तीन या अधिक) किस्तों में 1 करोड़ रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा
- **पेटेंट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक चिह्नों (जीआई), डिजाइन के पंजीकरण के लिए प्रतिपूर्ति:** आईपीआर संघटक के अंतर्गत पात्र आवेदकों को दी जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:

क्र.सं.	मद	अधिकतम वित्तीय सहायता
i.	विदेशी पेटेंट	5.00 लाख रु.
ii.	घरेलू पेटेंट	1.00 लाख रु.
iii.	जीआई पंजीकरण	2.00 लाख रु.
iv.	डिज़ाइन पंजीकरण	0.15 लाख रु.
v.	ट्रेडमार्क	0.10 लाख रु.

ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हरित निवेश एवं परिवर्तन के लिए वित्तपोषण (एमएसई- जीआईएफटी) योजना

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई) ने 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 478 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एमएसई- जीआईएफटी योजना तैयार की है, ताकि एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जा सके, जिसमें स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकियों की वृद्धिशील लागत को कम करने/दूर करने के लिए एमएसई को रियायती लागत पर संस्थागत वित्त उपलब्ध कराया जा सके, जिसमें सौर, पवन, बायोगैस आदि जैसे नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा; स्वच्छ परिवहन जिसमें कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन शामिल है; ग्रीन बिल्डिंग

जैसी ऊर्जा-कुशल परियोजनाएं; अपशिष्ट प्रबंधन जिसमें रीसाइक्लिंग, कुशल निपटान और ऊर्जा में रूपांतरण आदि शामिल हैं

एमएसई- जीआईएफटी योजना के प्रमुख संघटकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

I. **ब्याज अनुदान संघटक** यह संघटक एमएसई को हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए 2 करोड़ रुपये तक के सावधि ऋण पर अधिकतम 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 2% ब्याज अनुदान की पेशकश करके किफायती वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

II. **जोखिम शेयरिंग सुविधा** यह योजना एमएसई के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋण को कवर करने के लिए जोखिम शेयरिंग सुविधा प्रदान करती है, जो वित्तीय संस्थानों के लिए जोखिम को कम करने के लिए एक हाइब्रिड मॉडल के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

ग) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम- सर्कुलर अर्थव्यवस्था में संवर्धन एवं निवेश योजना (एमएसई-एसपीआईसीई) योजना

- **पात्रता:**

क. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सभी सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) इसमें भाग लेने के पात्र हैं।

ख. एमएसई इकाइयों को उद्योगों के लिए निर्धारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) और अपशिष्ट रीसाइक्लिंग लक्ष्यों का अनुपालन करना होगा।

ग. योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार इकाई का निवेश 11 चिन्हित सी.ई. क्षेत्रों में होना चाहिए।

- **वित्तीय सहायता:**

क. एमएसई-एसपीआईसीई योजना के तहत ऋण का आकार परियोजना लागत के आधार पर अलग-अलग होता है। एमएसई में ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए, इस योजना के तहत स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत 50 लाख रुपये है, जिसमें केवल प्लांट और मशीनरी की लागत पर 25% सब्सिडी है।

ख. इस योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाएं भी स्वीकार्य हैं, लेकिन सब्सिडी अधिकतम 12.5 लाख रुपये/इकाई तक सीमित है।

घ) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार ने देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) और उनके समूहों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ-साथ क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए एक प्रमुख रणनीति के रूप में क्लस्टर विकास दृष्टिकोण को अपनाया है। एक क्लस्टर उद्यमों का एक समूह होता है जो एक चिह्नित किए जाने योग्य और जहां तक व्यावहारिक हो, सन्निहित क्षेत्र में स्थित होता है और एक जैसे/समान उत्पादों/सेवाओं का उत्पादन करता है। एक क्लस्टर में उद्यमों की आवश्यक विशेषताओं में (क) उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण और जांच, ऊर्जा खपत, प्रदूषण नियंत्रण आदि के तरीकों में समानता या अनुपूरकता (ख) प्रौद्योगिकी और विपणन रणनीतियों/प्रथाओं का समान स्तर (ग) क्लस्टर के सदस्यों के बीच संप्रेषण के लिए समान चैनल (घ) सामान्य चुनौतियां और अवसर शामिल हैं।

संघटक:

I. सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी):

भारत सरकार का अनुदान 5.00 करोड़ रुपये से 10.00 करोड़ रुपये तक की परियोजना की लागत के 70% और 10.00 करोड़ रुपये से 30.00 करोड़ रुपये तक की परियोजना की लागत के 60% तक सीमित रहेगा। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों, द्वीप क्षेत्रों, एस्पिरेशनल जिलों के मामले में भारत सरकार का अनुदान 5.00 करोड़ रुपये से 10.00 करोड़ रुपये तक की परियोजना की लागत का 80% और 10.00 करोड़ रुपये से 30.00 करोड़ रुपये तक की परियोजना की लागत का 70% होगा। सीएफसी के लिए 30.00 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना लागत वाली परियोजना पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन भारत सरकार की सहायता की गणना अधिकतम 30.00 करोड़ रुपये की पात्र परियोजना लागत को ध्यान में रखकर की जाएगी।

II. मूलभूत संरचना विकास:

नए औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए भारत सरकार का अनुदान 5.00 करोड़ रुपये से 15.00 करोड़ रुपये तक की परियोजना की लागत के 60% तक सीमित रहेगा और मौजूदा औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के उन्नयन के लिए भारत सरकार का अनुदान 5.00 करोड़ रुपये से 10.00 करोड़ रुपये तक की परियोजना की लागत का 50% होगा। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों, द्वीप क्षेत्रों, एस्पिरेशनल जिलों के मामले में, नए औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए भारत सरकार का अनुदान 5.00 करोड़ रुपये से 15.00 करोड़ रुपये तक की परियोजना की लागत का 70% और मौजूदा औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के उन्नयन के लिए 5.00 करोड़ रुपये से 10.00 करोड़ रुपये तक की परियोजना की लागत का 60% होगा। 10.00 करोड़/15.00 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली आईडी परियोजना पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन भारत सरकार की सहायता की गणना अधिकतम 10.00 करोड़/15.00 करोड़ रुपये की पात्र परियोजना लागत को ध्यान में रखकर की जाएगी।

ङ) खरीद और विपणन सहायता योजना (पीएमएस)

एमएसएमई क्षेत्र में उत्पादों और सेवाओं की विपणन क्षमता बढ़ाने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ नवंबर, 2019 में खरीद और विपणन योजना (पीएमएस) शुरू की है और जुलाई, 2022 में दौरान इसे संशोधित किया है:

- घरेलू बाजारों को विकसित करने तथा नई बाजार पहुंच पहलों को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को प्रोत्साहित करना।
- एमएसई आदेश 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बाजार संपर्क को सुविधाजनक बनाना।
- एमएसएमई को व्यवसाय विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में शिक्षित करना।
- एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, व्यापार मेलों, नवीनतम बाजार तकनीकों, आधुनिक पैकेजिंग तकनीक,ई-कॉमर्स, बार कोड, निर्यात, जीईएम और अन्य संबंधित विषयों आदि के बारे में समग्र जागरूकता पैदा करना ।

योजना संघटक विवरण

क्र.सं.	संघटक	सहायता का पैमाना
1	**घरेलू व्यापार मेले/प्रदर्शनियां:** एमएसई को मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने/ इनका आयोजन करने में सहायता करना	(i) प्रत्येक एमएसई इकाई के लिए मेट्रो/ए श्रेणी के शहर में 1.50 लाख रुपये तक और अन्य शहरों में यात्रा, माल ढुलाई शुल्क आदि सहित स्थान किराया प्रभार और आकस्मिक व्यय पर 80,000 रुपये तक की सब्सिडी। (ii) आईएफ विंग की सहमति से अधिकार प्राप्त समिति द्वारा निर्धारित व्यापार मेला
2	कार्यशालाएं/सेमिनार/विक्रेता विकास कार्यक्रम	कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रति कार्यक्रम 5.0 लाख रुपये (अधिकतम) तक

3	माइक्रोस एंटरप्राइजेज के बार कोड को अपनाना	एक बार के पंजीकरण एवं वार्षिक आवर्ती शुल्क (1-3 वर्ष) के 80% तक की प्रतिपूर्ति, (50,650/- रु.) की अधिकतम सीमा के अधीन
4	ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अपनाना	एनएसआईसी द्वारा चलाए जा रहे "एमएसएमई ग्लोबल मार्ट" पर ऑन-बोर्डिंग के लिए 75% तक वार्षिक / सदस्यता शुल्क की प्रतिपूर्ति, अधिकतम (25,000/- रु.) तक
5	आधुनिक पैकेजिंग तकनीकों को अपनाना	परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए आईआईपी, एनआईडी, एनआईएफटी जैसे पैकेजिंग विशेषज्ञ संगठनों को पैनल में शामिल करने हेतु 15 लाख रुपये प्रति क्लस्टर तक
6	खुदरा आउटलेट का विकास	जीआई उत्पादों के लिए 500 वर्ग फीट के आधारभूत संरचना आउटलेट क्षेत्र के लिए 30 लाख तक, खुदरा विक्रेता से 50% अंशदान के अधीन

योजना निम्नलिखित के लिए लागू है:

विनिर्माण/सेवा क्षेत्र के एमएसई जिनके पास वैध उद्यम पंजीकरण (यूआर) प्रमाणपत्र है

विस्तृत जानकारी:

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया https://dcmsme.gov.in/CLCS_TUS_Scheme/PMS/Scheme_Guidelines.aspx पर पीएमएस योजना के दिशानिर्देश देखें।